

शकेलाल V/S जीतू

प्रमाण 34/2021 (2021/74)

15/11
2021

पत्रावली प्रशासन गांवों के लगे अभिपत्र 2021 के तहत राज्य-सम्मेलन या आयोजित शिविर में निस्तारण हेतु लायी गई। हमने पत्रावली का अकालोका किताब/पत्रावली ग्राम-सम्मेलन लिखित आराजी संख्या 187, 1582/189, 438, 441, 442, 793, 797, 806, 840 की संख्या 9 रकब 2.14 है एवं आ.नं. 1615/857 रकब 0.44 है। कुल की संख्या 10 कुल रकब 2.58 है। भूमि की पत्रावली का नाम पत्रावली है। पत्रावली में संलग्न नकल नमूने की अनुसार इकाई आराजीपत्रावली के नाम पर खानेदारी एक से दर्ज है। अतः पत्रावली का आराजीपत्रावली लिखा जाकर ग्राम-सम्मेलन लिखित आराजी संख्या 187, 1582/189, 438, 441, 442, 793, 797, 806, 840 की संख्या 9 रकब 2.14 है। एवं आराजी सं. 1615 रकब 0.44 है। कुल की संख्या 9+1 = 10 कुल रकब 2.58 है। भूमि की बिना किसी के कहे में खानेदारी की पत्रावली नमूने की अनुसार पत्रावली की संख्या के दोष रिज जाते हैं। कमिश्नर शुल्क 1500=00 रु. एक हजार पंच से पत्रावली पत्रावली करेगा। पत्रावली तहसीलदार चिखंडार को लिखना चाहे कि पत्रावली को लिखित प्रमाण देकर निपटारा पत्रावली की जाये एवं पत्रावली रिपोर्ट-आचार्य में प्रस्तुत करें। पत्रावली के लिये शुभाना होकर नमूने ले काम है।

(श्याम सुन्दर विश्वासे)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)